उत्तराखण्ड सरकार, अर्थ एवं संख्या निदेशालय, संख्याः | ? ? / स्था०(वा०चा० नियुक्ति) / 2018 दिनांकः | ? अक्टूबर, 2018

कार्यालय ज्ञाप

उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद, देहरादून के पत्र संख्या 1083/उप्राशिप/ परीक्षा बाह्य/2018–19 दिनांक 09 अगस्त, 2018 द्वारा समूह 'ग' भर्ती–2011, द्वितीय चरण–30 के अन्तर्गत विभागीय समिति की संस्तुति के आधार पर श्री ताहिर अहमद को अर्थ एवं संख्या विभाग, उत्तराखण्ड में वाहन चालक के पद पर वेतन लेवल–03 वेतनमान ₹ 21700–69100 में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अस्थायी रूप से नियुक्ति करते हुए दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर निम्न प्रकार तैनाती प्रदान की जाती है:–

क्र0सं0	कार्मिक का नाम सर्वश्रीः—	पत्र व्यवहार का पता	तैनाती का केन्द्र
1	2	3	4
1	ताहिर अहमद	श्री ताहिर अहमद पुत्र श्री जहीर अहमद, ग्रामं एवं पो0–केदारावाला, तहसील–विकास नगर, जनपद–देहरादून– 248197	कार्यालय, अर्थ एवं संख्याधिकारी, टिहरी गढ़वाल।

- 2– शासन द्वारा समय–समय पर स्वीकृत मंहगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते नियमानुसार देय होंगे।
- 3- प्रबिन्ध यह है कि सेवायें सन्तोषजनक न होने पर किसी भी समय नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा एक माह का पूर्व नोटिस देकर सेवा समाप्त की जा सकती है।
- 4— तैनाती केन्द्र पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
- 5- नियुक्त अभ्यर्थी प्रत्येक दशा में पत्र प्राप्ति के एक माह के भीतर तैनानी केन्द्र पर कार्यभार ग्रहण कर लें, अन्यथा उक्त नियुक्ति आदेश निरस्त किये जा सकते हैं।
- 6– कार्यभार ग्रहण करते हुए मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वाख्थ्य प्रमाण–पत्र मूल रूप में तैनाती के कार्यालय में प्रस्तुत करें।

संशील कमार निदेशक

कमशः

- 1— सचिव, उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा एवं प्रशिक्षण अनुसंधान विभाग प्रकोष्ठ अपर आमवाला, देहरादून को उनके पत्र सं0—1083/उप्राशिष/परीक्षा बाह्य/2018—19 दिनांक 09 अगस्त, 2018 के क्रम में।
- 2- उप निदेशक, अर्थ एवं संख्या, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी गढ़वाल / कुमायूॅ मण्डल,हल्द्वानी।
- 3– उप निदेशक(स्था0) निदेशालय।
- 4— वेब इन्फॉरमेशन अधिकारी, निदेशालय।
- 5– मुख्य कोषाधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
- 6– अर्थ एवं संख्याधिकारी, टिहरी गढ़वाल को इस आशय के साथ कि वाहन चालक पद पर चयनित अभ्यर्थी के अभिलेखों की जाँच मुख्यालय स्तर पर की जा चुकी है, परन्तु पारदर्शिता हेतु अपने स्तर से भी अभिलेखों की जाँच सुनिश्चित करें। चयनित अभ्यर्थी के अभिलेखों की एक प्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर कार्यालय अभिलेख हेतु प्रेषित की जा रही है।
- 7- सम्बन्धित वाहन चालक।
- 8- स्थापना/व्यक्तिगत पत्रावली हेतु।

अर्थ एवं संख्या।

उत्तराखण्ड सरकार, अर्थ एवं संख्या निदेशालय, संख्याः 145 / स्था०(वा०चा० नियुक्ति) / 2018 दिनांकः 23 अप्रेल, 2018

कार्यालय ज्ञाप

उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद के पत्र संख्या 2921/उप्राशिप/स०ग०भ०प०/ चयन समिति की सस्तुति/2017–18 दिनांक 05 मार्च, 2018 द्वारा समूह 'ग' भर्ती–2011, द्वितीय चरण–30 के अन्तर्गत विभागीय समिति की संस्तुतियों के आधार पर निम्न अभ्यर्थियों को अर्थ एवं संख्या विभाग, उत्तराखण्ड में वाहन चालक के पद पर वेतन लेवल–02 वेतनमान ₹ 19900–63200 में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अस्थायी रूप से नियुक्ति करते हुए दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर निम्न प्रकार तैनाती प्रदान की जाती है:–

क्र0 सं0		पत्र व्यवहार का पता	तैनाती का केन्द्र
1	2	3	4
1	जयदीप खण्डूरी	पुत्र श्री त्रिलोकी नारायन खण्डूरी ग्राम—जुगराडा, मानसिंह सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून	कार्यालय, अर्थ एवं संख्याधिकारी, पौड़ी गढ़वाल।
2	विपिन शर्मा	पुत्र श्री सतीश चन्द्र शर्मा ग्राम एवं पो0–भाऊवाला देहरादून	कार्यालय, अर्थ एवं संख्याधिकारी, हरिद्वार ।
3	शिव बचन	पुत्र श्री मदन सिंह राना मार्फत श्री अखिलेश कुमार मौर्य विकास भवन रुद्रपुर, रूम न0–212 ऊधमसिंह नगर।	कार्यालय, अर्थ एवं संख्याधिकारी, नैनीताल।
4	चन्द्र पाल सिंह नेगी	पुत्र श्री मेहरवान सिंह नेगी ग्राम–बल्यूली पो०ओ०–श्रीकोटखाल तहसील–सतपुली, पौड़ी गढ़वाल।	कार्यालय, अर्थ एवं संख्याधिकारी, देहरादून ।
5	हुकम सिंह	पुत्र श्री करन सिंह ग्राम—मारूति विहार, पत्थर प्लॉट रायपुर, देहरादून।	बीस सूत्री कार्यक्रम एवं कार्यान्वयन अधिष्ठान, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6	रमेश चन्द्र	पुत्र श्री किशनराम मार्फत श्री योगेश मेडिकल स्टोर पो0ओ0गरमपानी तहसीलकोशिया कुटौला जिलानैनीताल।	कार्यालय, अर्थ एवं संख्याधिकारी, अल्मोड़ा।

होंगे।

austin

- 3- प्रबिन्ध यह है कि सेवायें सन्तोषजनक न होने पर किसी भी समय नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा एक माह का पूर्व नोटिस देकर सेवा समाप्त की जा सकती है।
- 4- तैनाती केन्द्र पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
- 5– नियुक्त अभ्यर्थी प्रत्येक दशा में पत्र प्राप्ति के एक माह के भीतर तैनानी केन्द्र पर कार्यभार ग्रहण कर लें, अन्यथा उक्त नियुक्ति आदेश निरस्त किये जा सकते हैं।
- 6– कार्यभार ग्रहण करते हुए मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र मूल रूप में तैनाती के कार्यालय में प्रस्तुत करें।

(सशील कुमार निदेशक

(n) DY

Lar

- 1- सचिव, उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा एवं प्रशिक्षण अनुसंधान विभाग प्रकोष्ठ अपर आमवाला, देहरादून को उनके पत्र सं0–2921 / उप्राशिप / स0ग0 भ0प0 / ग्रुप–30 चयन संस्तुति / 2017–18 दिनांक 05 मार्च 2018 के क्रम में।
- 2- संयुक्त निदेशक, बीस सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन अधिष्ठान, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2- उप निदेशक, अर्थ एवं संख्या, कुमांयू मण्डल हल्द्वानी / गढ़वाल मण्डल, पौड़ी गढ़वाल।
- 3- उप निदेशक(स्था0) निदेशालय।
- 4- मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल, हरिद्वार, अल्मोड़ा, देहरादून, नैनीताल ।
- 6- वित्त कोषाधिकारी, साईबर ट्रैजरी, देहरादून।
- 5- अर्थ एवं संख्याधिकारी, पौड़ी गढ़वाल, हरिद्वार, अल्मोड़ा, देहरादून, नैनीताल को इस आशय के साथ कि वाहन चालक पद पर चयनित अभ्यर्थी के अभिलेखों की जाँच मुख्यालय स्तर पर की जा चुकी है, परन्तु पारदर्शिता हेतु अपने स्तर से भी अभिलेखों की जाँच सुनिश्चित करें। चयनित अभ्यर्थियों के अभिलेखों की एक प्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर कार्यालय अभिलेख हेतु प्रेषित की जा रही है।
- 7- आहरण वितरण अधिकारी, निदेशालय, देहरादून।
- 8- सम्बन्धित वाहन चालक।
- 9- व्यक्तिगत / स्थापना पत्रावली ।

अर्थ एवं संख्या